सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>मुन्तकिली प्रकरण संख्या 350 / 2025 (GCMS : 2025/468)</u>

रामनारायण पुत्र भींयाराम जाति मेघवाल निवासी गांव लखासर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

<u>बनाम</u>

1. पीठासीन अधिकारी **श्री अजीत गोदारा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर**
2. **कमला** पुत्री नारायण जाति मेघवाल निवासी 3 एमएलडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
3. **केशव** पुत्र राजकुमार जाति खटीक निवासी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **जगदीश** पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी 3 एमएलडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
5. **धर्मपाल** पुत्र श्री लालचन्द जाति नायक निवासी 60 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **मंगला राम** पुत्र घेरू राम जाति मेघवाल निवासी 75 एलएनपी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **मैना** पुत्री बिमला जाति मेघवाल निवासी 3 एमएलडी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
8. **विद्या देवी** पुत्री नारायण जाति मेघवाल निवासी 3 एमएलडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
9. **हितेश महेन्द्रा** पुत्र राजकुमार जाति खटीक निवासी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
10. **मोनिका** पुत्री नारायण जाति मेघवाल निवासी 3 एमएलडी, तहसील घड़साना जिला श्रींगानगर
11. **चुन्नीलाल** पुत्र श्री नारायण जाति मेघवाल निवासी 3 एमएलडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
12. राजस्थान सरकार जरि[illegible]पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:26 IST
Reason: SelfAttested

10.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी रामनारायण बनाम कमला आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का आपस राजीनामा होने के कारण वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी रामनारायण बनाम कमला अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का राजीनामा हो गया है, इसलिए वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है और फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस अंकित किया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:26 IST
Reason: SelfAttested